सं. ग्रो.वि./एफ.डी./61-85/34849.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. होरटी कल्चर डिपार्टमैन्ट हुडा, सैक्टर-16, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राज पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बधित मामला है :—

क्या श्री राज पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो. वि./ग्रम्बाला/100-85/34983.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ग्राफिसर इन्चार्ज, सेन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27 चण्डीगढ़ (2) सीनियर टैक्नीकल ग्रसिसटैंट, सन्टर सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म, मन्सा देवी, पो. ग्रा. मनीमाजरा, जिला ग्रम्बाला के श्रमिक श्री राजबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए अब ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./ग्रम्बाला/102-85/34990.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ग्राफिसर इन्चार्ज सैन्ट्रल, सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़ (2) सीनियर टैक्नीकल ग्रसिसटैंट सैन्टर सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो. ग्रा. मनीमाजरा, जिला ग्रम्बाला के श्रमिक श्री रणबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रणबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो.वि./ग्रम्बाला/105-85/34997.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ग्राफिसर इन्चार्ज, सन्ट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च सैन्टर, सैक्टर-27, चण्डीगढ़ (2) सीनियर टैक्नीकल ग्रसिसटैंट, सैन्टर सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीच्यूट, रिसर्च फार्म मन्सा देवी, पो. ग्रा. मनीमाजरा, जिला ग्रम्बाला के श्रमिक श्री अश्वनी कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, ग्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री अश्वनी कुमार की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ।